देवघर समाहरणालय

(जिला भू–अर्जन शाखा)

–: अधिसूचना :–

संख्या 05/15-16/308 /भू अ0

दिनांक : 09.9.15

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :– **बाबुपुर, थाना :– जसीडीह, थाना सं०–389, अंचलः– देवघर, जिला :– देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना **देवघर हवाई अड्डा विस्तारीकरण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :–**सिमरिया, थाना :–जसीडीह, थाना सं० :– 383, अंचलः–** देवघर, जिला :– देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **46.74** मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :– ....

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	19	रैयती	बाड़ी–1	0.39	बुधन मांझी वो सुधन मांझी वो कारू मांझी, पे0– स्व. मैना मांझी वो, धनेश्वर मांझी, पे0–स्व. छेदु मांझी वो पुष्पा देवी, पति– स्व.– किशुन मांझी।	मौजा सिंहपुर योगीडीह, संख्या–390,,	अंश खेसरा संख्या– 17, 18, 33, 35 एवं 52,	पू0–मौजा सिंहपुर	प0 मौजा–समेरिया
2	3	22	रैयती	बाड़ी–1	0.16	अंधेरी मांझी पिता प्यारी मांझी				
3	4	7	रैयती	धानी–1	0.43	चूटो मांझी, पे0– स्व. कमलू मांझी वो मागन मांझी, पे0– स्व. सनू मांझी वो पोचा मांझी पिता राम मांझी वो धरमी देवी पति मैना मांझी वो धनेश्वर मांझी पिता छेदो मांझी वो पुष्पा देवी पति किशुन मांझी माता बोधी देवी				
4	4	8	रैयती	धानी–1	0.09					
5	4	9	रैयती	बाड़ी–1	0.90					
6	4	10	रैयती	धानी–2	0.40					
7	5	1	रैयती	धानी–2	0.36	सुनील कुमार वो अनिल कुमार वो किशोर कुमार वो राजेश कुमार झा, पिता स्व लक्ष्मीकान्त झा वो श्यामसुन्दर झा वो मोहन झा वो सोहन प्र0 झा पिता स्व. शिवराम झा वो दयानन्द झा वो पंचानन्द झा, पिता स्व. सीताराम झा वो गणेश झा वो कार्तिक झा पिता स्व. उमाकान्त झा वो पवन कुमार झा वो प्रमोद कुमार झा पिता स्व. निशिकान्त झा वो रावनेश्वर प्र0 झा वो शिवशंकर झा पिता स्व0 हरि झा				
8	5	3	रैयती	धानी–2	0.50					
9	5	4	रैयती	धानी–1	0.92					
10	5	5	रैयती	धानी–1	0.03					
11	5	6	रैयती	धानी–1	1.72					
12	5	11	रैयती	धानी–2	1.85					
13	5	12	रैयती	धानी–2	0.10					
14	5	13	रैयती	धानी–2	0.44					
15	5	14	रैयती	धानी–2	1.10					
16	5	15	रैयती	धानी–2	0.70					
17	5	17	रैयती	बाड़ी–1	0.80					
18	5	30/55	रैयती	धानी–1	0.06					
19	5	06/54	रैयती	धानी–1	0.43					
20	5	41	रैयती	धानी–1	4.66					
21	5	42	रैयती	धानी–1	5.16					

22	5	40	रैयती	धानी–1	0.23					
23	5	38	रैयती	बाडी–1	0.63					
24	5	39	रैयती	बाडी–1	0.17					
25	5	32	रैयती	धानी–1	2.12					
26	5	30	रैयती	धानी–1	1.51					
27	5	33	रैयती	धानी–1	0.62					
28	5	36	रैयती	बाडी–1	0.78					
29	5	52	रैयती	बाडी–1	4.69					
30	5	52	रैयती	बाडी–1	0.56					
31	5/क	47	रैयती	बाडी–1	2.18					
32	5/क	48	रैयती	बाडी–1	8.66					
33	5/क	50	रैयती	बाडी–1	1.78					
34	6	23	रैयती	बाडी–1	0.33	कैलाश दास वो पेतर दास, पे0– स्व. काली दास वो शनिचरी देवी, पति स्व0 लक्ष्मण दास वो मोहन दास वो चन्द्रदेव दास वो अर्जुन दास, पिता स्व0 दुर्गा दास				
35	6	24	रैयती	धानी–2	0.33					
36	6	20	रैयती	बाडी–1	0.33					
37	6	21	रैयती	बाडी–1	0.04					
38	6	28	रैयती	धानी–1	0.04					
39	6	26	रैयती	धानी–1	0.11					
40	6	25	रैयती	धानी–1	0.19					
41	6	27	रैयती	बाडी–1	0.04					
42	7	31	रैयती	धानी–1	0.20	कान्ति राजहंस वो इन्दु राजहंस वो रसतेन्दू राजहंस वो मंजू शेखर राजहंस, पिता– स्व. शशि शेखर राजहंस वो रिंकु राजहंस पिता दामोदर राजहंस वो काशिनाथ राजहंस वो तुलसीनाथ राजहंस वो योगेन्द्र राजहंस वो कृष्णानन्द राजहंस वो तीर्थ राजहंस, पिता– स्व. शंभुनाथ राजहंस				
				कुल–	**46.74**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के

बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

9.9.15

अपर समाहर्त्ता,
देवघर।

E/2015 LA/ New Adhiyachna of aerodram/Adhisuchana Babupur

ज्ञापांक 05/15-16/308 / भू अ0, देवघर, दिनांक 09.9.15

प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभग, झारखण्ड, राँची को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को तीन प्रति में दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिपिलि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण / पक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेवसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर

9.9.15
अपर समाहर्त्ता,
देवघर।

E/2015 LA/ New Adhiyachna of aerodram/Adhisuchana Babupur